/

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः— कृष्णपाल सिंह चौहान(आर.ए.एस))

मुकदमा नम्बर 18/2020 दायर दिनांक :— 27.08.2020

निर्णय दिनांक :— 10.02.2021

1 मरता पिता भगवान जी रोत निवासी हरवा पछोर
2 हाजीया पिता भगवान जी रोत निवासी हरवा पछोर
3 देवीलाल पिता गटु जी रोत निवासी हरवा पछोर
4 गणश पिता भगवान जी जी रोत निवासी हरवा पछोर
5 हुरजी पिता धुला जी रोत निवासी हरवा पछोर
6 नानुराम पिता वजा रोत जी रोत निवासी हरवा पछोर पटवार मण्डल बडगामा त. सागवाडा जिला डूंगरपुर —प्रार्थीगण

बनाम

1 मांगीलाल पिता धुला जी ढोर्ली निवासी हरवा पछोर पटवारी मण्डल बडगामा त.सागवाडा जिला डूंगरपुर
2 श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान :— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4)आवंटन नियम 1970 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के आदेश दिनांक 14.12.2010 के पालनार्थ खोले गए नामान्तरकरण सं. 623 को निरस्त करने

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से श्री दिनेश चौबीसा एडवोकेट
विपक्षी :— श्री सुन्दरलाल परमार एडवोकेट
विपक्षी सं. 2 की ओर से राजकीय पैरोकार

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी हरवा पछोर के निवासी होकर गॉव हरवा पछोर मे खसरा नम्बर 305 चारागाह भूमि है। उपरोक्त भूमि पर विपक्षी के पिता धुला का कभी कब्जा नही रहा है, इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा 35 वर्ष का कब्जा मानते हुए प्रशासन गॉवों के संग अभियान मे 2100/—रू. जमा लेकर उसके नाम पर नियमन किया गया है। प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित किया गया है कि उच्चतर न्यायालयों के अपने निर्णयों मे यह उल्लेख है कि चारागाह भूमि का आंवटन नही किया जा सकता है तथा सार्वजनिक उपयोग के अलावा किसी भी व्यक्ति के नाम पर नियमन नही किया जा सकता है। नामान्तरकरण सं. 623 जो विपक्षी मांगीलाल के पिता के नाम पर खोला गया है जो गलत खोला गया है। एवम् अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए अंकित किया गया है कि नियमन के संबध मे पारित आदेश एवम् नामान्तरकरण को निरस्त किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया।

विपक्षी सं. एक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों का अस्वीकार किया जाकर कथन किया गया कि नियमन विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अनुसार किया गया है। उपरोक्त भूमि पर विपक्षी के बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा था उपरोक्त आवंटन एलोटमेन्ट कमेटी द्वारा ग्राम सभा मे सभी की उपस्थिति मे किया गया है। आवंटन शुदा भूमि मे विपक्षी के मकान व कुआं स्थित है तथा इसके अलावा अन्य कोई भूमि नही है। विपक्षी लेण्ड होल्डर की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही हुआ ।

प्रकरण मे प्रार्थी पक्ष की ओर से दस्तावेज विवादग्रस्त नामनान्तरकरण, जमाबंदी, नक्षा एवम् पुलिस कार्यवाही की नकल प्रस्तुत की गई। विपक्षी की ओर से दस्तावेज नामान्तरकरण, जमाबंदी, नक्षा, नियमन पत्रावली आदेश, पर्चा मौका आदि प्रस्तुत किए गए है।

प्रकरण मे समस्त पक्षों के जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् बहस समाअत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से अपने जवाब मे किए गए कथनों को दोहराया गया और प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो 2007(2)RRT1085, RRD1976 327, 328 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।
हमारे द्वारा सभी पक्षों की बहस को सुना गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात व न्याय निर्णयों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण मे विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थीगण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किए गए नियमन तथा उसके आधार पर खोले गए नामान्तरकरण को निरस्त कराने के अधिकारी है।

प्रकरण मे यह निर्विवाद रूप से स्वीकृत तथ्य है कि जिस भूमि को नियमन किया गया है वह भूमि चारागाह भूमि है, उच्चतर न्यायालयों के निर्णयानुसार चारागाह भूमि सार्वजनिक भूमि होकर पशुओं के चरने के लिए आरक्षित भूमि की श्रेणी मे आती है। चारागाह भूमि को संरक्षित करना सभी का कर्तव्य है। प्रकरण मे दस्तावेज 14.12.2010 या आवंटन नियमन सलाहकार समिति के आदेश के अवलोकन से यह कहीं प्रकट नही होता है कि उनके द्वारा आवंटन/नियमन से पूर्व राज्य सरकार से इस संबध मे कोई स्वीकृति प्राप्त की गई हो। क्योकि बिना राज्य सरकार के स्वीकृति के चारागाह भूमि का आवंटन/नियमन प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध कृत्य की श्रेणी मे आता है तथा यह मान भी लिया जाए कि विपक्षी के पिता का भूमि पर कब्जा रहा हो तो उससे विपक्षी मांगीलाल या उसके पिता के पक्ष मे कोई विधिक अधिकार सृजित नही हो जाते है। विपक्षी अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि मांगीलाल के पिता का अधिनियम के अस्तित्व मे आने से पूर्व ही उनका कब्जा रहा है, लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। मेरी विनम्र राय मे आवंटन सलाहकार समिति के लिए यह उचित नही था कि वह चारागाह भूमि में से विपक्षी मांगीलाल के पिता के नाम पर दिनांक 1 जनवरी 1970 से पूर्व का कब्जा मानकर नियमन कर देते जबकि रेकार्ड पर कब्जे संबधित कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत नही हुआ है ऐसी परिस्थिति मे आवंटन/नियमन सलाहकार समिति का निर्णय व उसके अनुक्रम मे उपखण्ड अधिकारी सागवाडा द्वारा पारित आदेश 14.12.2010 तथा उसके आधार पर खोले गए नामान्तरकरण सं. 623 को निरस्त किया जाना उचित पाता हूँ तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हूँ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2010 ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलिया बडगामा पर दिनांक 7.12.2010 को आयोजित शिविर मे धुला पिता खेमा, जाति ढोली, निवासी बडगामा के मौजा बडगामा के खसरा सं. 305 किस्म चारागाह मे रकबा 3 बिघा के नियमन का निर्णय तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2010 को जारी रकम वसूली के आदेश तथा नामान्तरकरण सं. 623 मौजा बडगामा तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर को निरस्त किया जाता है तथा विपक्षी या उसके पिता का नाम रेकार्ड से हटाया जाकर भूमि को पुनः चारागाह दर्ज किए जाने आदेश पारित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.02.2021 खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:54 IST
Reason: SelfAttested